न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर-2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साली, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी – श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 24/2017

प्रार्थना-पत्र दायरी दिनांक : 10/05/2017

निर्णय दिनांक : 16/5/2017

रतनलाल पुत्र भंवरलाल, जाति महाजन, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र बंशीलाल
2. रविकान्त पुत्र बंशीलाल
3. संजय पुत्र बंशीलाल

} जातियान जांगिड, निवासीगण शर्मा इन्जिनियरिंग टोडारायसिंह रोड, मालपुरा, तह. मालपुरा जिला टोंक, राज0।

4. झूंथा पुत्र कालूराम
5. गोपाल पुत्र रोडू
6. गोविन्द पुत्र छीतर

} जातियान जाट, निवासीगण साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

7. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

उपस्थिति – श्री हरीशकुमार साहू
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 5 स्वंय उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 16/5/2017

-: निर्णय :-

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के आराजी खाता संख्या 575 के आराजी खसरा नम्बर 2733/3527 रकबा 0.09

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3158 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.8800 हैक्टेयर वाके ग्राम साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थी एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 जो कि प्रार्थी की आराजी के पडौसी काश्तकार है, जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थी से विवाद रखते हैं, मेर कोर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार तहसील दूदू के आदेश क्रमांक एल.आर.16/1054 दिनांक 12/04/2016 की पालना में दिनांक 07/05/2016 को प्रार्थी की आराजीयात का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है, बावजूद इसके अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, इसलिये प्रार्थी अपनी आराजीयात के चारों तरफ पत्थरगढी करवाना चाहता है, इसलिये यह पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं। दिनाक 07/05/2017 को अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सीमाओं से अधिक बढकर प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में आकर बाहजोत करने का प्रयास करने व जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी को अपनी आराजी की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपर्युक्त आराजीयात खाता संख्या 575 के आराजी खसरा नम्बर 2733/3527 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3158 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.8800 हैक्टेयर वाके ग्राम साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर की सीमाओं पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान कर जरिये पुलिस इमदाद पुलिस थाना दूदू से पालना करवाई जाने की कृपा करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 16/05/2017 को पत्रावली राजस्व कैम्प "न्याय आपके द्वार" कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साली में पेश हुई, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 एवं अप्रार्थी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित हुये, अप्रार्थी संख्या 5 ने कथन किया कि प्रार्थी की आराजीयात के साथ–साथ यदि मेरे खाते में स्थित भूमि का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नही हैं। शेष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा पैरोकार राज की बहस में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12/04/2016, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 575 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अन्य जो सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी पेश की गयी है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी का तहसीलदार दूदू के आदेश क्रमांक/एल.आर./16/1054 दिनांक 12/04/2016 के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका हैं, चूंकि प्रार्थी अपनी आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी संख्या 5 ने कथन किया कि प्रार्थी की आराजीयात के साथ–साथ यदि मेरे खाते में स्थित भूमि का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया तथा न ही कोई आपत्ति पेश की गयी है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2733/3527 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3158 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.8800

Scanned by CamScanner

[illegible] नक्शे ग्राम साली, तहसील दूदू का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। साथ ही अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी में स्थित भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद स्वंय प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/2017 को मजमे आम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साली में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)